संख्या:100/2018/1966जेएल/22-3-18-100(38)/2013

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 27 सितम्बर, 2018***

विषय: जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध 02 सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-34504/सामा-1(3ए)/गो0परि0(टी-1)/2018, दिनांक 24-09-2018 में किये गये संशोधित प्रस्ताव एवं संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-87/2018/1896जेएल/22-3-18-100(38)/2013, दिनांक 17-09-2018 को अवक्रमित करते हुए उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध निम्नलिखित 02 (दो) सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-4 की कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.स.	बंदी का नाम व पिता का नाम	निरूद्धि की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहॉ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	2	3	4
1	वि0 बंदी कौशलेश उर्फ कौशलेन्द्र तिवारी पुत्र श्री देवमणि तिवारी	जिला कारागार,बस्ती	जिला कारागार,कानपुर देहात
2	सि0/वि0 बंदी आदित्य सिंह उर्फ रिंकू सिंह पुत्र श्री उदयभान सिंह	जिला कारागार,बस्ती	जिला कारागार,फतेहगढ़

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्याशासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

संख्या:100/2018/1966जेएल(1)/22-3-18-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती/कानपुर देहात/फर्रूखाबाद।
4. पुलिस अधीक्षक, बस्ती/कानपुर देहात/फर्रूखाबाद।
5. वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, बस्ती एवं अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर देहात/फतेहगढ़।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in